	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23/07/24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता श्री M.A. कलाम एवं अप्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि प्रा॰पत्र में वर्णित भूमि ग्राम लालराई के पुराने खसरा नं. 84 अथवा इससे बने नये खसरा नं. 233 में कभी भी प्रार्थीगण को भूमि आवंटन/नियमन होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व भी सिवायचक भूमि रही है तथा भू-प्रबन्ध पश्चात के अधिकार अभिलेखों में भी भूमि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया मामला धारा 136 RLR Act के तहत बनना ही प्रमाणित नहीं है जिससे प्रार्थीगण धारा 136 RLR Act के तहत कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है। इसके साथ ही वादग्रस्त भूमि ग्राम लालराई के हाल खसरा नं. 233, रकबा 1.77 हे. किस्म गै.मु. नाला दर्ज है जो किस्म परिवर्तन के अधिकार राज्य सरकार में निहित है तथा गै.मु. नाला किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधि॰ की धारा 16 में वर्णित प्रतिबन्धित भूमि होने से प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी ... पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner